क्रम संख्या–110 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0

पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 359/XXXVI (3)/2022/67(1)/2022

देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 15 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 9 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 9 में उपधारा (1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम का उल्लंघन या अपराध करते हुये पाया जाता है और दोष सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(2) निरन्तर अपराध किये जाने की स्थिति में, ऐसे अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

भारत सरकार द्वारा, अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और नियामक ढांचे को सरलीकृत बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रियायें तथा कारावास सम्बंधी प्रावधानों को चिन्हित करते हुये आपराधिक प्रावधानों को गैर अपराधिकृत किये जाने की पहल की गयी है।

2. उक्त के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 9 में कारावास सम्बन्धी उपबंधों को हटाया जाना अपरिहार्य है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री